



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48269-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 53/2026

मनीष कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: रमेश उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता,

परवेज़ इकबाल अंसारी, राजन उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मीनाक्षी सिंह, ए.सी.एस.सी., प्रखर सरन श्रीवास्तव

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से लोकहित में ग्राम मनाजीत, ब्लॉक रानीपुर, जिला-मऊ के बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 5 की निरंतरता को प्रश्नगत करने हेतु दायर की गई है।

2. दलीलें प्रस्तुत की गई हैं कि उक्त बीएलओ के कार्य के विरुद्ध बार-बार किए गए अभ्यावेदनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके हटाए जाने के आदेशों के बावजूद, उसे थोड़े समय के लिए हटाया गया और पुनः नियुक्त कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं था।

3. प्रत्यर्थियों को अनुदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था जिसमें प्रारंभ में अनुदेश प्रस्तुत किए गए कि प्रत्यर्थी संख्या 5 को बीएलओ के कर्तव्यों से हटा दिया गया है, परंतु जब यह ध्यान दिलाया गया कि उसे पुनः नियुक्त कर दिया गया है, तो नए अनुदेश मांगे गए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अब अनुदेश प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें उन आदेशों की श्रृंखला बताई गई है जिनके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 को विभिन्न कारणों से थोड़े-थोड़े समय के बाद बीएलओ के रूप में बार-बार पुनः नियुक्त किया गया था, जहाँ नवनियुक्त बीएलओ ने या तो कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया था और/अथवा अन्य कारणों से, अब दिनांक 16.02.2026 को प्रद्युम्न मिश्रा को उक्त ग्राम पंचायत मनाजीत के लिए बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

5. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 5 को बीएलओ के कर्तव्यों से हटा दिया गया है और नई नियुक्ति हो गई है, याचिका निष्फल हो गई है। अतः यह निष्फल हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

10 मार्च, 2026

एनडी